33 ITcell
6/3/13

संख्या– 139 /तेईस–14–2013–14 जनरल/12

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
   गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग,
   उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव,
   कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग,
   उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव,
   पंचायती राज विभाग,
   उ0प्र0 शासन।
4. गन्ना आयुक्त,
   उ0प्र0।
5. आयुक्त एवं निदेशक,
   मण्डी परिषद, उ0प्र0।
6. प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
   लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. निदेशक,
   पंचायती राज।

B.R., E.T. Cell

606 B.P.R.
06/03/13

107 (AIC)
04/3/13

लोक निर्माण अनुभाग–14 लखनऊः दिनांक 01 मार्च, 2013

विषयः राजस्व ग्रामों के चहुमुखी विकास हेतु प्रदेश के 500 या उससे अधिक आबादी के ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बंध में।

महोदय,

प्रदेश के समस्त ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाना वर्तमान सरकार की उच्च प्राथमिकता है। कोर रोड नेटवर्क में सम्मिलित 500 से अधिक आबादी की अनजुड़ी समस्त बसावटों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। 500 से 999 की आबादी की लगभग 6221 बसावटें हैं, जो कोर रोड नेटवर्क में सम्मिलित नहीं हैं। अतः यह बसावटें पी0एम0जी0एस0वाई योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग से नहीं जोड़ी जा सकी हैं। सम्प्रति शासन द्वारा 500 से 999 तक की आबादी की समस्त अनजुड़ी बसावटों को सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

6/3/2013

2— प्रदेश की 500 अथवा उससे अधिक आबादी की 6221 बसावटों, जो पी0एम0 जी0एस0वाई0 के कोर रोड़ नेटवर्क में नहीं हैं एवं पी0एम0जी0एस0वाई0 न्यू कनेक्टिविटी के अन्तर्गत संतृप्तीकरण हेतु आच्छादित नहीं हैं, को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की कार्य योजना तैयार किये जाने हेतु ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, गन्ना विकास विभाग, नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ विचार—विमर्श के उपरान्त यह पाया गया कि 500 अथवा उससे अधिक आबादी की अनजुड़ी 6221 बसावटें, जो पी0एम0जी0एस0वाई0 के कोर रोड नेटवर्क में नहीं हैं, ऐसी बसावटों को सिंगल कनेक्टिविटी के आधार पर सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिए लगभग 6135 कि0 मी0 लम्बाई में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जाना होगा, जिसके लिए लगभग रू0 2692 करोड़ धनराशि की आवश्यकता होगी।

3— अतः प्रदेश की 500 अथवा उससे अधिक आबादी की 6221 बसावटों, जो पी0एम0जी0एस0वाई0 के कोर रोड नेटवर्क में नहीं हैं एवं पी0एम0जी0एस0वाई0 न्यू कनेक्टिविटी के अन्तर्गत संतृप्तीकरण हेतु आच्छादित नहीं हैं, को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की निम्नवत कार्य योजना निर्धारित की जाती है:—

(1) **<u>वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर</u>** 500 अथवा उससे अधिक आबादी की ऐसी अनजुड़ी बसावटें, ज़ो पी0एम0जी0एस0वाई0 के कोर रोड नेटवर्क में नहीं हैं एवं पी0एम0जी0एस0वाई0 न्यू कनेक्टिविटी/अपग्रेडेशन के अन्तर्गत संतृप्तीकरण हेतु आच्छादित नहीं हैं, की कुल बसावटों की संख्या 6221 लोक निर्माण विभाग द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित की गई हैं। इन बसावटों को जोड़ने के लिए लगभग 6135 कि0मी0 लम्बाई में सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया जायेगा, जिसके लिए लगभग रू0 2692 करोड़ धनराशि की आवश्यकता होगी।

(2) सर्वप्रथम 500 अथवा उससे अधिक आबादी की गैर जुड़ी 6221 बसावटों को 2 वर्षों (2013—14 व 2014—15) की कार्य योजना तैयार कर सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जायेगा। जब 500 अथवा उससे अधिक आबादी की सभी बसावटें संतृप्त हो जायें तो उसके पश्चात ही 250 से 499 आबादी वाली बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्य कराया जाएगा।

(3) 500 अथवा उससे अधिक आबादी की अनजुड़ी बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु प्रतिवर्ष मण्डी परिषद द्वारा लगभग रू0 300 करोड़, पंचायती राज विभाग द्वारा लगभग रू0 300 करोड़ तथा गन्ना विकास विभाग द्वारा 50 करोड़ उपलब्ध कराया जायेगा। इस मद में लगभग रू0 700 करोड़ लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजना यथा एस0सी0पी0/आर0आई0 डी0एफ0/जिला योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार 500 या उससे अधिक अनजुड़ी बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के लिये प्रतिवर्ष रू0 1350 करोड़ उपलब्ध हो जायेगा।

(4) पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 हेतु 250 से 499 आबादी वाली 28 जनपदों की 442 बसावटों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की कार्य योजना को अन्तिम रूप देते हुए जिला पंचायत से अनुमोदन कराया जा चुका है। इसी प्रकार गन्ना विकास विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 हेतु 250 से 499 आबादी वाली 113 गैर जुड़ी बसावटों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की कार्य योजना बनाकर स्वीकृति की कार्यवाही की जा चुकी है। अतः इन उपरोक्त कार्यों को इस वर्ष पूर्ण करा लिया जाए, किन्तु भविष्य में 500 से कम आबादी की बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्य तब तक न किया जाय, जब तक 500 से अधिक आबादी वाली अनजुड़ी बसावटों को जोड़ने का कार्य पूर्ण न कर लिया जाय।

(5) जिलेवार कार्य योजना को अन्तिम रूप दिये जाने हेतु शासन स्तर पर निम्नानुसार समिति होगी :–

1.	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष।
2.	प्रमुख सचिव, वित्त।	सदस्य।
3.	प्रमुख सचिव, नियोजन।	सदस्य।
4.	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग।	सदस्य संयोजक।
5.	पंचायती राज, गन्ना, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव।	सदस्य।
6.	निदेशक, मण्डी परिषद।	सदस्य।

(6) उक्त समिति वर्षवार व जिलेवार लक्ष्य आवंटित करेगी। तत्पश्चात मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करके जिलों को लक्ष्य सूचित किया जायेगा।

(7) चूंकि गन्ना विकास विभाग, मण्डी परिषद एवं पंचायती राज विभाग द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं में सड़क निर्माण कराया जाता है अतः इन तीनों विभागों द्वारा अपनी विभागीय नीतियों के अनुसार जिलेवार बसावटों का चयन, ऐसी 6221 अनजुड़ी बसावटों, जो पी0एम0जी0.एस0वाई0 (कोर रोड नेटवर्क) से आच्छादित नहीं हैं, में से करके अपना प्रस्ताव उक्त समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात उक्त समिति द्वारा इन तीनों विभागों द्वारा विभिन्न जिलों में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों से जोड़ी जाने वाली बसावटों का आवंटन किया जायेगा।

(8) उपरोक्त आवंटन के पश्चात जिलों में बसावटों को जोड़ने का जो लक्ष्य शेष रहेगा उसके सापेक्ष बसावटों का चयन सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से प्रभारी मा0 मंत्री जी के द्वारा किया जायेगा तथा इन बसावटों के सम्पर्क मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने बजट से कराया जायेगा।

(9) गन्ना विकास विभाग द्वारा विभागीय नीतियों के अनुरूप गन्ना संस्थानों/चीनी मिलों के क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली 500 से अधिक आबादी की बसावटों को जोड़ने की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जायेगी। यदि गन्ना संस्थानों एवं चीनी मिलों के क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी की बसावटें संपर्क मार्ग से जोड़ने हेतु असंतृप्त नहीं हैं तो उससे कम आबादी की बसावटों को जोड़ने के सम्बंध में मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करेगें।

(10) ग्रामीण सम्पर्क मार्ग चाहे जिस भी विभाग द्वारा बनाये जाएं पी0एम0जी0 एस0वाई0 की विशिष्टियों के अनुरूप ही बनाये जायेंगे।

(11) ग्रामों/बसावटों का चयन सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी एवं प्रभारी मा0 मंत्री द्वारा उपरोक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप किया जायेगा।

(12) बसावटों/ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग होगा।

(13) विशेष परिस्थितियों में 250 से 499 तक की आबादी की अनजुड़ी बसावटों को भी सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के सम्बंध में शिथिलीकरण मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

4— उक्त के अतिरिक्त गन्ना विकास विभाग के बजट से बनाई जा रही सड़कों हेतु कार्यदायी संस्था गन्ना विकास विभाग, मण्डी परिषद के बजट से बनाई जा रही सड़कों हेतु कार्यदायी संस्था मण्डी परिषद तथा पंचायती राज विभाग के बजट से बनाई जा रही सड़कों हेतु कार्यदायी संस्था जिला पंचायत होगी। गन्ना विकास विभाग, मण्डी परिषद एवं पंचायती राज विभाग अपनी सड़कों की वार्षिक मरम्मत एवं समयान्तर्गत नवीनीकरण अपने वित्तीय संसाधनों से कराएंगे।

5— प्रश्नगत ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित कार्य योजना में यथावश्यकता संशोधन मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

6— उपरोक्तानुसार कार्रवाई करते हुए अगले दो वर्षों (2013—14 व 2014—15) में प्रदेश के 500 से अधिक आबादी वाली समस्त अनजुड़ी बसावटों को जोड़ने हेतु तत्काल ही कार्य योजना बना ली जाय जिससे वित्तीय वर्ष 2013—14 के प्रारम्भ से इस पर कार्य सम्पादित हो सके।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्या–139(1)/तेईस–14–2013–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10– लोक निर्माण विभाग के समस्त अनुभाग।
11– समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12– बेव अधिकारी, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
13– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8।
14– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
01/3/13
(संजीव कुमार)
सचिव।

अतिमहत्वपूर्ण/ईमेल द्वारा

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(अम्बेडकर/समग्र सेल),
लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक 1077 ऑ0 (106-क)/अ0/स0सेल/12-13, दिनांक : 04.03.2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य अभियन्ता (विश्वबैंक), लो0नि0वि0 लखनऊ - विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने के अनुरोध सहित।
3. अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना/नियोजन, लो0नि0वि0 लखनऊ।
4. समस्त अधिशासी अभिन्यता/वास्तुविद्, अम्बेडकर सेल, लो0नि0वि0 लखनऊ।
5. प्रभारी, अम्बेडकर सेल, लो0नि0वि0 लखनऊ/गार्ड फाइल।

भवदीय,
04-3-2013
(अरविन्द कुमार अग्रवाल)
अधीक्षण अभियन्ता
अम्बेडकर/समग्र सेल
लो0नि0वि0 लखनऊ